डाक पंजीयन मंत्रालय (म.प्र.)
पंजी. क्रमांक 791060
पंजी दिनांक 12-08-2022
हस्ताक्षर

मध्य प्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय
वल्लभ भवन– 462 004

क्रमांक एफ 15–01/2014/1–10 भोपाल, दिनांक 8/08/2022

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
समस्त संभागीय आयुक्त,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त जिलाध्यक्ष,
भोपाल।

विषयः–शासकीय अधिकारी/कर्मचारियों के विरूद्ध अभियोजन स्वीकृति आदेश जारी करने की प्रकिया में संशोधन के संबंध में।

संदर्भः–सामान्य प्रशासन विभाग का समसंख्यक परिपत्र दिनांक 05/09/2014, 05/08/2016, 21/04/2017, 22/04/2017 एवं 24/11/2018

––00––

राज्य शासन द्वारा सामान्य प्रशासन विभाग के संदर्भित परिपत्रों द्वारा शासकीय अधिकारी/कर्मचारियों के विरूद्ध अभियोजन स्वीकृति आदेश जारी करने की प्रकिया के संबंध में निर्देश जारी किए गए हैं।

2/ उपरोक्त परिपत्र दिनांक 05/09/2014 की कण्डिका–8 में निम्नानुसार प्रावधान हैः–

> "पुनर्विचार पश्चात् भी प्रशासकीय विभाग के निष्कर्ष एवं विधि और विधायी कार्य विभाग के अभिमत भिन्न होने की दशा में, प्रशासकीय विभाग प्रकरण संक्षेपिका की 20 प्रतियों के साथ 15 दिवस के अंदर सामान्य प्रशासन विभाग के माध्यम से मंत्रि–परिषद् समिति के विचारार्थ भेजेगा। प्रशासकीय विभाग मंत्रि–परिषद् समिति के निर्णय के अनुसार आदेश जारी करने की कार्यवाही करेगा।"

3/ प्रायः देखा गया है कि विभिन्न विभागों द्वारा प्रस्तुत मंत्रि–परिषद समिति के समक्ष विचारार्थ भेजे गये प्रकरण में संक्षेपिका 20 प्रतियों में प्राप्त नहीं होती है, संक्षेपिका स्पष्ट नहीं होती है। अतः मंत्रि–परिषद में प्रस्तुत करने हेतु प्रकरण निम्नानुसार भेजा जायेः–

1. संक्षेपिका में अपचारी अधिकारी कौन है एवं उनके वर्तमान तथा तत्समय का पदनाम तथा अपचारी अधिकारी पर कौन से अधिनियमों के तहत किस धारा में प्रकरण प्रस्तुत किया गया है इसका स्पष्ट उल्लेख किया जाय।

2. संक्षेपिका में निर्णय का प्रारूप मय सुसंगत अधिनियम/नियमों की धाराओं का स्पष्ट लेख करते हुए प्रस्तुत किया जाये, जिससे मंत्रि–परिषद समिति के समक्ष प्रकरण प्रस्तुती में त्रुटि होने की संभावना न रहे।

4/ सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा प्रकरण को माननीय मुख्यमंत्रीजी की अध्यक्षता में गठित मंत्रि–परिषद समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया जाता है, जिसके लिये प्रशासकीय विभाग एव विधि एवं विधायी कार्य विभाग के अभिमत का तुलनात्मक विवरण प्रस्तुत किया जाता है। अतः प्रशासकीय विभाग तथा विधि एवं विधायी कार्य विभाग के अभिमत का तुलनात्मक विवरण प्रस्तुत करने हेतु निर्धारित प्रपत्र एवं प्रकरण के परीक्षण हेतु चेक लिस्ट संलग्न भेजकर निर्देशानुसार अनुरोध है कि कृपया मंत्रि–परिषद् के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत करने हेतु प्रकरण उपरोक्तानुसार एवं संदर्भित पत्रों द्वारा जारी किये गये निर्देशों का पालन करते हुए ही भेजा जाये।

5/ कृपया उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाये।

संलग्न–उपरोक्तानुसार.

8/8/22

(रंजना पाटने)
उप सचिव,
मध्य प्रदेश शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग

पृ. क्रमांक एफ 15–01/2014/1–10 भोपाल, दिनांक08/08/2022

प्रतिलिपिः–

1. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्य मंत्री जी, मध्यप्रदेश शासन, भोपाल,
2. उप सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय, मध्यप्रदेश भोपाल,
3. रजिस्ट्रार, माननीय उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश जबलपुर,
4. सचिव, लोकायुक्त संगठन, मध्यप्रदेश भोपाल,
5. महानिदेशक, आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ, भोपाल,
6. सचिव, मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय, भोपाल,
7. सचिव, मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग, इन्दौर,
8. संचालक जनसंपर्क, मध्यप्रदेश भोपाल,
9. अवर सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग (स्था.) शाखा की ओर विभाग की वेबसाईट/पोर्टल पर अपलोड किये जाने हेतु प्रेषित।
10. स्टॉक फाइल।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

8/8/22

उप सचिव,
मध्य प्रदेश शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग

"प्रशासकीय विभाग एवं विधि एवं विधायी कार्य विभाग के अभिमत का तुलनात्मक विवरण"

क्र	विभाग का नाम	जांच एजेंसी /प्रकरण क्रमांक एवं अपचारी कर्मचारी का नाम, तत्कालीन पदनाम तथा वर्तमान पदनाम	अपचारी कर्मचारी के विरूद्ध आरोपित आरोप एवं संबंधित अधिनियम/नियम की धाराओं का विवरण	प्रशासकीय विभाग का अभिमत	विधि विभाग का अभिमत
1	2	3	4	5	6

"मंत्रि–परिषद् समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किये जाने वाले अभियोजन स्वीकृति के प्रकरणों के संबंध में चेकलिस्ट"

कमांक	मुख्य बिंदु	हॉ / नहीं
1.	विधि विभाग का अभिमत (अभिमत की छायाप्रति सहित)	
2.	मुख्य संक्षेपिका, सुसंगत अधिनियम / नियम की धाराओं का उल्लेख करते हुये.	
3.	मंत्रि–परिषद् निर्णय का प्रारूप	
4.	लोकायुक्त अथवा आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ की जिन–जिन अधिनियम / नियमों के अंतर्गत धाराओं में प्रकरण बनाया है उनके प्रतिवेदन की छायाप्रति.	